



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ़

दिनांक- 09.04.2025

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 100/2025 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित दो अभियुक्तों किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. सागर सैनी पुत्र जसराम सैनी निवासी ग्राम झाडपुरा थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया ।



अभियुक्त सागर उपरोक्त से पूछताछ में बताया कि यह तमंचा व कारतूस महेश पुत्र नन्हे नि0 ग्राम विजय रामपुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद से खरीदा था जो कि अपने गांव विजय रामपुर में रहता है । थाना अफजलगढ़ को महेश पुत्र नन्हे नि0 ग्राम विजय रामपुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त महेश उपरोक्त ने बताया कि उसने यह तमंचा महमूद नि0 फरीदपुर हाजी थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद से 1.5 वर्ष पहले खरीदा था । इस संबंध में थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 100/2025 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1. सागर सैनी पुत्र जसराम सैनी निवासी ग्राम झाडपुरा थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
2. महेश पुत्र नन्हे नि0 ग्राम विजय रामपुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थाना प्रभारी सुमित राठी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
3. का0 2159 आकाश कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
4. का0 572 शुभम चौधरी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

5.का0 200 अश्वनी चौधरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर

दिनांक 09.04.2025

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 188/25 धारा 74/137(2)/62 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.04.2025 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री के साथ 02 अभियुक्तों द्वारा छेड़छाड़ करने व अपहरण का प्रयास करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 188/25 धारा 74/137(2)/62 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण 1- कुलवंत सिंह पुत्र गोविन्द सिंह निवासी मौ0 आदर्शनगर कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2- सौरभ कुमार पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम बेलडी थाना नगीना जनपद को गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में पीडिता के धारा 183 बीएनएसएस के बयान के आधार पर धारा 351(3) BNS की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. कुलवंत सिंह पुत्र गोविन्द सिंह नि0 मौ0 आदर्शनगर कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर
2. सौरभ कुमार पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम बेलडी थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी धनसिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी मौ0 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 4- आरक्षी किशनकान्त दूबे थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 09.04.2025

थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 78/2025 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.04.2025 को वादी सैय्यद अहमद पुत्र सैय्यद हफिजुल कमर निवासी मौ0 दरबार सादात कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी की अज्ञात चोर द्वारा वादी के भाई की मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस न0- UP20BM5327 को चोरी कर लिया गया । तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 78/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में प्रशान्त उर्फ कनिष्क पुत्र धर्मपाल नि0 ग्राम मलकपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम जयारामपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही –

थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त प्रशान्त उर्फ कनिष्क पुत्र धर्मपाल नि0 ग्राम मलकपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम जयारामपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस न0- UP20 BM5327 सहित गिरफ्तार किया गया । बरादगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रशान्त उर्फ कनिष्क पुत्र धर्मपाल नि0 ग्राम मलकपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम जयारामपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरादगी

चोरी की गयी मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस न0- UP20 BM5327

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 78/2025 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- मु0अ0सं0 360/20250 धारा 379/411 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री अशोक मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. हे०का० 131 शरद पवार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.का० 749 राजदीप सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर